सराहनीय कार्य, जालौन पुलिस

दिनांक –02.11.2024

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन, कानपुर एवं पुलिस उपमहानिरीक्षक, झांसी परिक्षेत्र, झांसी के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक जालौन के नेतृत्व में थाना आटा पुलिस व एसओजी/सर्विलांस की संयुक्त टीम द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग करने वाले पेसेवर अपराधी को पुलिस मुठभेड़ के दौरान घायल होने पर अवैध असलाह मय कारतूस व मोटर साइकिल सहित गिरफ़्तार किया गया।

दिनांक 01.11.2024 को कोतवाली उरई में सूचना प्राप्त हुयी कि एक व्यक्ति तमंचा लिये हुये मु0 इन्द्रानगर मे घूम रहा है इस सूचना पर कोतवाली उरई पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुची तो थाना स्थानीय का क्रियाशील अपराधी वीरू अहिरवार पुत्र मुन्नालाल उम्र करीब 25 वर्ष नि0 बजाज एजेन्सी के पीछे मु0 इन्द्रानगर थाना उरई जनपद जालौन अपने हाथ मे तमंचा लिये हुये घूम रहा था। पुलिस टीम को देख कर वीरू उपरोक्त द्वारा पुलिस टीम के ऊपर जान से मारने की नियत से फायर कर दिया था और मौके से भाग गया था। जिसके सम्बन्ध में कोतवाली उरई में मु0अ0सं0 742/24 धारा 109/352/351(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया था।

अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक जनपद जालौन द्वारा 03 टीमों का गठन किया गया था। जो सरगर्मी से अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु प्रयास कर रही थी। आज दिनांक 02.11.2024 को सायंकाल पुलिस को सूचना मिली की अभियुक्त वीरू उपरोक्त अपने 02 अन्य साथियों के साथ कालपी की तरफ से आटा टोल होते हुये झांसी की तरफ जायेगा। इस सूचना पर पुलिस द्वारा हाइवे पर चेकिंग प्रारम्भ की गयी। पुलिस की मौजूदगी देख कर अभियुक्तगण मोटरसाइकिल मोड कर चमारीनाले की तरफ भागे। अभियुक्तगण को थाना आटा क्षेत्र में स्थित चमारी तिराहे के पास पकड़ने का प्रयास किया गया तो अभियुक्त द्वारा पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से फायरिंग की गयी, पुलिस टीम द्वारा आत्मसमर्पण की चेतावनी देते हुए आत्मरक्षार्थ फ़ायरिंग की गई जिससे अभियुक्त वीरू उपरोक्त गोली लगने से घायल हो गया एवं अन्य 02 अभियुक्तगण मौके का फायदा उठा कर जंगल की तरफ भागने में सफल रहे। घायल अभियुक्त को मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुये उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।
उक्त पुलिस मुठभेड़ के संबंध में अभियोग पंजीकृत कर वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

अभियुक्त का विवरण –

1. वीरू अहिरवार पुत्र मुन्नालाल उम्र करीब 25 वर्ष नि0 बजाज एजेन्सी के पीछे मु0 इन्द्रानगर थाना उरई जनपद जालौन
2. 02 अन्य अभियुक्त अज्ञात

बरामदगी का विवरण-

1. एक तमन्चा 315 बोर
2. 02 जिन्दा व 02 खोखा कारतूस 315 बोर
3. 01 अदद मोटर साइकिल
4. 900 रूपये नगद

<u>अभियुक्त वीरू अहिरवार उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-</u>

1. मु0अ0स0 427/2018 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कोत0 उरई
2. मु0अ0स0 855/20 धारा 41/411/413/414/379/420 आईपीसी व 41 सीआरपीसी कोत0 उरई
3. मु0अ0सं0 594/2021 धारा 379/411आईपीसी थाना कोत0 उरई
4. मु0अ0सं0 73/2022 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना आटा
5. मु0अ0सं0 76/2022 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना आटा
6. मु0अ0सं0 77/2022 धारा379/411/420/468/471 भादवि थाना आटा
7. मु0अ0सं0 231/2021 धारा 393/411 भादवि थाना कालपी
8. मु0अ0सं0 236/2021 धारा 411/413/420 भादवि थाना कालपी
9. मु0अ0सं0 237/2021 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना कालपी
10. मु0अ0सं0 63/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना आटा
11. मु0अ0सं0 980/23 धारा 323/506 भादवि थाना कोत0 उरई
12. मु0अ0सं0 742/2024 धारा-109/352/351(2) बीएनएस थाना कोत0 उरई

पुलिस अधीक्षक जालौन द्वारा गिरफ्तार करने वाली टीम के उत्साहवर्धन हेतु 25000/- रूपये का ईनाम दिया गया।

<u>गिरफ्तार करने वाली टीम-</u>

1. थाना प्रभारी आटा मय पुलिस टीम।
2. प्रभारी एसओजी/सर्विलासं मय टीम।